Before the Hon`ble Revenue Board, Madhya Pradesh

Revision No.

1-Bhopal Shramjeevi Patrakar Sangh

(Bhopal Working Journalist Union)

Bhopal District Union of

Madhya Pradesh Shramjeevi Patrakar Sangh

(MP Working Journalist Union)

Through its President Arsad Ali Khan

Ganesh Shankar Vidhyarthi Marg

Bhopal

2-Shalabh Bhadoria

President Patrakar Bhavan Samiti

And President of Madhya Pradesh

Shram Jeevi Patrakar Sangh

(MP Working Journalist Union)

Address- Ganesh Shankar Vidhyarthi Marg

Bhopal ---------- Revisioner

Vs.

1-State of MP Through collector Bhopal

Prsesnt Revision is preferred by Revisioner against the order o... ...arned Commissioner, Bhopal Division, Bhopal in the First appeal No. 385/अपील/14–15 "भोपाल श्रमजीवी पत्रकार संघ विरूद्व कलेक्टर भोपाल" of 25.04.2016 hereinafter referred as impugned order.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1640 –पीबीआर/16 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–6–2016	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 25–4–16 की सत्यप्रतिलिपि की छायाप्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । आवेदकगण की ओर से निगरानी मेमों के साथ वादग्रस्त आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं कर सत्यप्रतिलिपि की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है, जबकि मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में आगे "संहिता" कहा जावेगा।) की धारा 48 के अन्तर्गत वादग्रस्त आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करना आज्ञापक प्रावधान है । ऐसी स्थिति में निगरानी प्रथमदृष्टया संहिता की धारा 48 के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किये जाने के कारण इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है । जहाँ तक प्रकरण के गुणदोष का प्रश्न है कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 01/अ–20(4)/2013–14 में दिनांक 2–2–2015 को आदेश पारित कर स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि पट्टागृहीता आवेदक संस्था द्वारा प्रश्नाधीन पटटे की शर्तो का उल्लंघन किया गया है और इस तथ्य को कलेक्टर के समक्ष अवधेश भार्गव एवं श्री एन0पी0अग्रवाल द्वारा आवेदकगण संस्था की ओर से उपस्थित होकर स्वीकार भी किया गया है, इसके अतिरिक्त पटटे की शर्त में स्पष्ट उल्लेख है कि पट्टागृहीता प्रत्येक वर्ष 1 जून के पूर्व वार्षिक किराया रुपये 37/–जमा करायेगा, परन्तु पट्टागृहीता द्वारा वर्ष 2002 से वार्षिक किराया रुपये 37/– जमा नहीं कराया है । इस संबंध में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा वर्ष 2012 तक वार्षिक किराया जमा होना बतलाया है, परन्तु प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है, और ना ही यह स्पष्ट किया है कि किराया प्रतिवर्ष जमा कराया है अथवा 10 वर्ष का इकट्ठा जमा कराया है अतः उक्त शर्त का उल्लघंन मानने में कलेक्टर द्वारा कोई अवैधानिकता नहीं की गई है। इस प्रकार में कलेक्टर द्वारा पटटे की शर्तो का उल्लंघन पाते हुये संहिता की धारा 182 के अन्तर्गत प्रश्नाधीन पट्टा निरस्त करने में प्रथमदृष्टया किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है और उपरोक्त आशय के निष्कर्ष निकाले जाकर अपर आयुक्त द्वारा अपील निरस्त करने में भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से प्रस्तुत यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में शासन द्वारा लीजडीड निष्पादित नहीं कर ग्रान्ट निष्पादित की गई है क्योंकि प्रश्नाधीन दस्तावेज को देखने से स्पष्ट है कि शासन द्वारा रुपये 1480.28 प्रीमियम एवं रुपये 37/– वार्षिक किराया निर्धारित कर शर्तो के अधीन प्रश्नाधीन भूमि आवेदक संस्था को आवंटित की गई है इससे स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि लीज पर आवेदक संस्था को पट्टे पर दी गई है । अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये विधिसंगत निष्कर्षो में प्रथमदृष्टया हस्तक्षेप का आधार नहीं होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	